


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या -05 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-


क्र. सं.	नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	विषय	अवधि	विद्यालय व पद जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है (राजमावि)
1	2	3	4	5
1.	पूरण चन्द, बगड़मेव (अलवर)	भौतिक विज्ञान	माह अक्टूबर 2019 से मई 2020 तक	राजमावि देवती (राजगढ़) अलवर में व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के रिक्त पद विरुद्ध

उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित प्राध्यापक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगक/वेतन-व्यवस्था/2019/242 दिनांक: 03.06.2020
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सचूनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित कार्मिक
6. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
7. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर